

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति I व II/अचल सम्पत्ति/विविध/2022/

दिनांक :-

--:: आदेश ::--

शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभाग के अधीन पदस्थापित/कार्यरत समस्त राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों द्वारा दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण को दिनांक 31.01.2022 तक स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार संबन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।


(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक

क्रमांक:-प्रति 1/अचल सम्पत्ति/विविध/2017/323-25

दिनांक :- 11-01-22

प्रतिलिपि: -निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक/क-1/ गो.प्र./2011 दिनांक 30.12.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
2. विभागीय नोडल अधिकारी को दी जाकर लेख है कि विभागीय वैबसाइट पर आज ही अपलोड करावें।
3. समस्त संबन्धित राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों।
4. कार्यालय की लेखा/कैश/सामान्य/स्टोर/विधि/आवक-जावक शाखा।
5. रक्षित पत्रावली।


निदेशक